भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2374

उत्तर देने की तारीख -04/08/2025

सोमवार, 13 श्रावण, 1947 (शक)

महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए उपाय

2374. श्री आदित्य यादव:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सहमत है कि देश में महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) बढ़ने चाहिएं;

(ख) यदि हां, तो सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा वित्त तक पहुँच में सुधार, मार्गदर्शन और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और महिला उद्यमियों को सहायता देने वाली नीतियों, जैसे कि अधिमान्य खरीद और सुव्यवस्थित पंजीकरण प्रक्रियाओं, पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) : सरकार इस बात से अवगत है कि देश में महिला स्वामित्व अधीन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में वृद्धि की जानी चाहिए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के माध्यम से सरकार ने देश में एमएसएमई में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इन पहलों का विवरण इस प्रकार है:

(i) महिला स्वामित्व अधीन एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान।

(ii) महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने लिए, सार्वजनिक खरीद नीति में यह अधिदेश दिया गया है कि सीपीएसई/मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाने वाली वार्षिक खरीद में से 3% खरीद महिला स्वामित्व अधीन सूक्ष्म और लघु महिला उद्यमियों से की जानी चाहिए।

(iii) उद्यम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ दिनांक 01.07.2020 को किया गया था जो पूरी तरह से ऑनलाइन, कागज़ रहित और स्व-घोषणा पर आधारित है। जिनके पास पैन विवरण हैं, वे

उद्यम पर पंजीकरण करा सकते हैं और जिनके पास पैन/जीएसटीएन नहीं है, वे दिनांक 11 जनवरी 2023 को शुरू किए गए उद्यम सहायता पोर्टल (यूएपी) पर पंजीकरण करा सकते हैं। दोनों पंजीकरण, प्रा. क्षे. ऋ.(पीएसएल) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की स्कीम का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

(iv) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने हेतु दिनांक 01.12.2022 से सूक्ष्म एवं लघु महिला उद्यमियों के लिए निम्नलिखित दो प्रावधान लागू किए गए हैं:

(क) अन्य के लिए 75% की तुलना में मुकाबले 90% तक की गारंटी कवरेज; और
(ख) वार्षिक गारंटी शुल्क में 10% की छूट

(v) एमएसएमई मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का क्रियान्वयन करता है, जो एक ऋण-आधारित सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से उनके लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। कुल पीएमईजीपी लाभार्थियों में से 39% महिलाएँ हैं और उन्हें गैर-विशेष श्रेणी (25% तक) की तुलना में अधिक सब्सिडी (35%) प्रदान की जाती है।

(vi) महिलाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय कॉयर विकास योजना के अंतर्गत 'कौशल उन्नयन और महिला कॉयर योजना' लागू करता है, जो कॉयर क्षेत्र में कार्यरत महिला कारीगरों के कौशल विकास के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

(vii) खरीद और विपणन सहायता योजना के अंतर्गत व्यापार मेलों में अन्य उद्यमियों के लिए 80% की तुलना में महिला उद्यमियों की भागीदारी के लिए 100% तक सब्सिडी दी जाती है।

(viii) एमएसएमई मंत्रालय ने 18 ट्रेड में कार्यरत महिलाओं सहित पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को अनेक लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' योजना शुरू की है।

(ix) मंत्रालय ने एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्न स्कीम के तहत मौजूदा और महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता अभियान 'यशस्विनी' शुरू किया है, जिसके तहत उन्हें निरंतर सहायता, मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण प्रदान किया जा रहा है।

इसके अलावा, सरकार महिला उद्यमियों को सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक बाधाओं, व्यावसायिक अवसरों और प्रशिक्षण तक पहुँच की कमी को दूर करने में सहायता हेतु महत्वपूर्ण कौशल, ज्ञान और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करने के महत्व को समझती है। सरकार ने प्रशिक्षण, वकालत और ऋण एवं बाज़ार संपर्कों तक पहुँच के माध्यम से उद्यमशीलता में

महिलाओं की सहायता करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इन पहलों में महिलाओं में उद्यम संबंधी मानसिकता और क्षमताएँ विकसित करने, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास के लिए सहायता देने और महिला उद्यमशीलता विकास के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए सहयोग शामिल हैं।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अपने स्वायत्त संगठनों, अर्थात् राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (नीसबड़) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देने और देश भर में महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों के बीच वित्त तक पहुँच सहित उद्यमशीलताए ईकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। ऐसी पहलों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

अनुबंध-1

" महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए उपाय" के संबंध में दिनांक 04.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2374 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महिला उद्यमियों के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न पहलों का विवरण इस प्रकार है:

(i) **प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन)** - एमएसडीई अपने स्वायत्त संस्थानों, अर्थात् एनआईईएसबीयूडी (नीसबड़) और आईआईई के माध्यम से मार्च 2024 से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के कौशल और उद्यमशीलता घटक को कार्यान्वित कर रहा है। यह परियोजना देश भर के 18 राज्यों में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत कुल 500 वीडीवीके स्थापित किए जाने हैं। दिनांक 29.07.2025 तक, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 37,161 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 31,560 महिलाएँ थीं।

(ii) **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान** - धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) - जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक योजना है जिसमें एमएसडीईको दो विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं:

• 30 जनजातीय जिलों में कौशल केंद्र स्थापित करना और
• 1000 वीडीवीकेऔर जनजातीय समूहों के क्षमता निर्माण और व्यवसाय विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।

नीसबड और आईआईई, पीएम-जनमन के कार्यान्वयन के अनुरूप वीडीवीकेके प्रशिक्षणों को क्रियान्वित कर रहे हैं। टीआरआईएफ़ईडीद्वारा साझा की गई सूची के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 50 वीडीवीकेमें प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है। 15 वन धन विकास केंद्र उत्तर-पूर्व क्षेत्र में और शेष 35 वन धन विकास केंद्र देश के बाकी हिस्सों में हैं। 30.06.2025 तक, प्रशिक्षकों के मास्टर प्रशिक्षक (टीओटी) कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित 100 में से 15 महिला प्रतिभागियों सहित कुल 30 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(iii) **स्वावलंबिनी कार्यक्रम:** एमएसडीई ने नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच के सहयोग से, फरवरी 2025 में उत्तर-पूर्व राज्यों असम, मेघालय और मिजोरम, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में एक महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम स्वावलंबिनी शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1,200 छात्राओं के लिए उद्यमशीलता जागरूकता प्रशिक्षण (ईएपी) और 600 छात्राओं के लिए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के माध्यम से छात्राओं में उद्यमशीलता की मानसिकता

विकसित करना है। एनआईईएसबीयूडी (नीसबड़) और आईआईई इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

इसके अलावा, स्वावलंबिनी का उद्देश्य नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच की अवार्ड्स टू रीवार्ड्स पहल के माध्यम से इस कार्यक्रम से उभरने वाली सफल महिला उद्यमियों को मान्यता और पुरस्कृत करना है। यह कार्यक्रम महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए कार्यशालाओं, प्रारंभिक निधि और संरचित मार्गदर्शन का लाभ उठाएगा।

(iv) **उत्तर-पूर्व क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमशीलता विकास केंद्र (ईडीसी) और संवर्धन (इनक्यूबेशन) केंद्रों (आईसी) की स्थापना, विकास और प्रबंधन** - इस परियोजना के तहत, आईआईई, उत्तर-पूर्व क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमशीलता विकास केंद्र (ईडीसी) और संवर्धन (इनक्यूबेशन) केंद्रों (आईसी) की स्थापना, विकास और प्रबंधन करेगा। परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में उत्तर-पूर्व के 8 राज्यों में 30 ईडीसी और 4 आईसी की स्थापना, विकास और प्रबंधन, 30 लक्षित जिलों के 600 सलाहकारों की पहचान और प्रशिक्षण, 30 लक्षित जिलों के 3600 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण, 4 आईसी में 100 व्यावसायिक जानकारी का संवर्धन (इनक्यूबेशन), सहयोग के माध्यम से 30 ईडीसी में 900 व्यावसायिक जानकारी के लिए सहायता और 4 आईसी में शीर्ष 50 संवर्धन कर्त्ताओं (इनक्यूबेट्स) के लिए प्रारंभिक पूंजी शामिल हैं।

दिनांक 31.05.2025 तक, आईआईई ने 632 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया है और ईडीपी प्रशिक्षण के माध्यम से 912 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 600 महिलाएं हैं।

*****